डकवर्थ लुईस प्रणाली से भारत ने न्यूजीलैंड को 4 रन से हराया, सीरीज में 2-0 की बढ़त

बारिश में भी नहीं धुला भारत का जीत का रंग

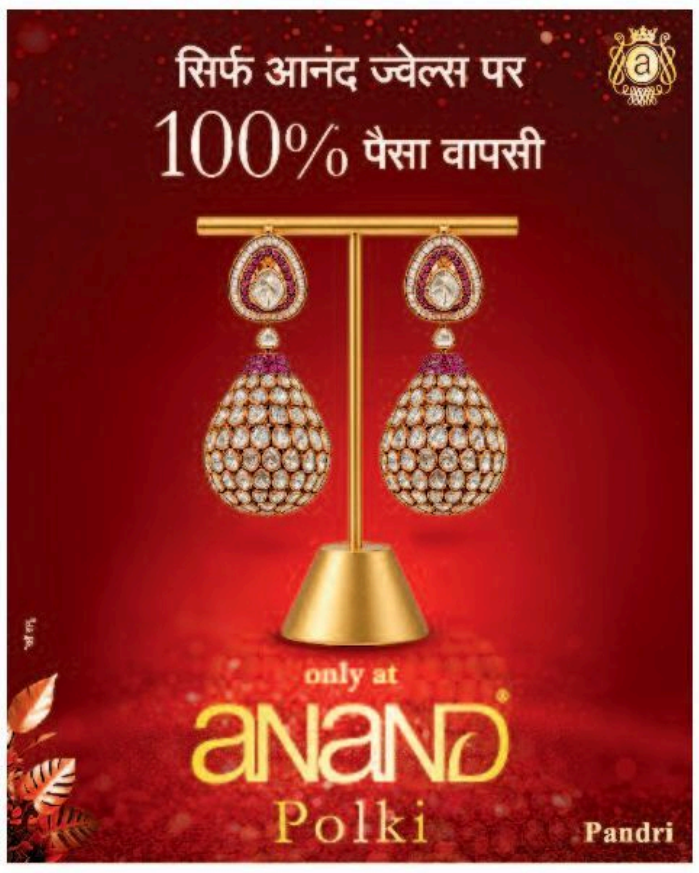
एजेंसी ▶▶| वेलिंगटन

सितारों से सजे भारतीय बल्लेबाजी क्रम की शुरुआती नाकामी के बाद केएल राहुल की संयमित पारी के दम पर भारत ने वर्षाबाधित दूसरे वनडे में शनिवार को न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर 4 रन से हरा दिया। अब भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से आगे है। तीसरा मैच मंगलवार को हैमिल्टन में खेला जाएगा।

जीत के लिए 47 ओवर में 135 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 26 ओवर में 7 विकेट 113 रन पर गंवा दिए थे, जब बारिश शुरू हो गई। उस समय डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर भारत को 109 रन की जरुरत थी। भारत ने अपने तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की मदद से न्यूजीलैंड को 41 ओवर में 134 रन पर समेट दिया।

भारतीय गेंदबाजों ने फेंकी 176 डॉट गेंदें

आकिब नबी ने 7 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट लिए जबकि अंशुल कम्बोज ने 8 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट चटकाए। वहीं बराड़ ने 10 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट लिए, जो उनके कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उन्होंने शॉर्ट गेंदों का बखूबी इस्तेमाल करके मेजबान मध्यक्रम की कमर तोड़ दी। अर्शदीप सिंह ने 7 ओवर में 16 रन दिए लेकिन उन्हें विकेट नहीं मिली। उन्होंने हालांकि बेहद अनुशासित और सटीक गेंदबाजी करके दबाव बनाया। भारतीय गेंदबाजों ने 176 डॉट गेंदें फेंकी।



रोहित ने तोड़ा अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड

रोहित शर्मा ने कीवी टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 2 छक्के लगाए और वो वनडे में इस टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए और शाहिद अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। शाहिद अफरीदी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में कुल 50 छक्के अपने करियर के दौरान लगाए थे, लेकिन रोहित ने 51 छक्के लगाते हुए उन्हें पीछे छोड़ दिया और लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए जबकि शाहिद अफरीदी अब दूसरे नंबर पर आ गए।

जूझते नजर आए विल यंग

इससे पहले गिल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का सही फैसला लिया। बारिश और मौसम को देखते हुए मैच प्रति टीम 47 ओवर का कर दिया गया था। नबी ने सबसे पहले टिम सीफर्ट (0) का विकेट लिया। मिडविकेट पर खड़े कम्बोज ने सामने की ओर डाइव लगाकर कैच पकड़ा और नबी को उनका पहला अंतरराष्ट्रीय विकेट दिलाया। विल यंग ने 17 गेंद में 6 रन बनाए और वह जूझते ही नजर आए। आफ स्टम्प पर पड़ती गेंद पर बल्ला अड़ाकर वह विकेट के पीछे केएल राहुल को कैच देकर लौटे। हेनरी निकोल्स 26 गेंद में 11 रन बनाकर नौवें ओवर में कम्बोज की गेंद पर बोल्ड हुए।

जीरो पर आउट हुए गिल

जवाब में कप्तान शुभमन गिल पहली ही गेंद पर जैकब डफी का शिकार हुए और खाता खोले बिना स्लिप में कैच दे बैठे। डफी ने विराट कोहली (7) को भी पवेलियन भेजा। रोहित शर्मा ने 28 गेंद में 23 रन बनाए लेकिन सीम का सामना करने में सहज नहीं दिखे। अक्षर पटेल (7) और श्रेयस अय्यर (30) शॉर्ट गेंदों पर विकेट गंवा बैठे। वहीं पहली 20 में से 18 डॉट गेंद खेलने वाले राहुल ने अपना संयम बनाए रखा और डफी को छक्का लगाकर टीम को सौ रन के पार पहुंचाया। राहुल ने 38 गेंद में 26 रन बनाए।

17 साल के विकल्प को मिली छत्तीसगढ़ की कप्तानी

एजेंसी ▶▶| रायपुर

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए छत्तीसगढ़ ने स्क्वॉड का ऐलान किया और 17 साल के विकल्प तिवारी को कमान दी है। विकल्प ने अभी तक सीनियर लेवल पर कोई टी20 मुकाबला नहीं खेला है फिर भी उनके नेतृत्व में टीम चुनी गई है। हालांकि विकल्प ने छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग में हिस्सा लिया है और यहां पर कमाल किया है। यही वजह है कि उनको नेतृत्व दिया गया है। वे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 में वैभव सूर्यवंशी के बाद दूसरे नौजवान कप्तान होंगे। 15 साल के वैभव बिहार की पहले दो मैचों में कमान संभालेंगे।



मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं

राजनांदगांव के विकल्प बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। विकल्प ने इसी साल फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था तो पिछले विजय हजारे ट्रॉफी से उनका लिस्ट ए में पदार्पण हुआ था। वे अभी तक छह फर्स्ट क्लास और इतने ही लिस्ट ए मैच खेल चुके हैं।



HDFC BANK एचडीएफसी बैंक लि.
पंजीकृत कार्यालय, एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई - 400013
रायपुर शाखा : एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल, साई नगर, देवेन्द्र नगर, रायपुर-492001

आधिपत्य सूचना

अधिनियम की धारा 13 (4) के साथ प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने एचडीएफसी बैंक लि. रुरल बैंकिंग ग्रुप, द्वितीय मंजिल, जेनिथ हाउस, केशवराव खायडे मार्ग, महालक्ष्मी, मुम्बई-400034, का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 का सपठित नियम 13 (2) के नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणी(यों) **श्रीमती राज लक्ष्मी ध्रुव पति दीप कुमार ध्रुव** एवं अन्य (ऋण खाता नंबर **50200077291274, 50200077295579, 50200077298960** को मंगनी करते हुए मांग सूचना पत्र दिनांक **07/08/2026** उक्त सूचना पत्र की प्राप्ति दिनांक से **60 दिनों** के भीतर **रूपये 86,48,530.18/- (रूपये छियासी लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ तीस रुपये और अठारह पैसे मात्र)** भावी ब्याज एवं पेनल ब्याज, अन्य चार्जेस लागत एवं अन्य के साथ सूचना पत्र में उल्लेखित राशि को लौटाने के लिए निर्गमित किया।

ऋणी(यों) के यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी(यों) और सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का **सांकेतिक आधिपत्य** दिनांक **06/11/2026** को ग्रहण कर लिया है।

ऋणी को विशेषत: एवं सर्वसाधारण को सामान्यत: एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार **रूपये 86,48,530.18/- (रूपये छियासी लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ तीस रुपये और अठारह पैसे मात्र)** तक एवं उस पर ब्याज, व्यय एवं खर्चो सहित राशि के लिए एचडीएफसी बैंक लि. के प्रभार के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

प्रतिभूति: बैंक फाइनें स से सृजित कृषि भूमि और अन्य परिसंपत्तियों का हाइपोथिकेशन
संपत्ति स्वामी: श्रीमती राज लक्ष्मी ध्रुव पति दीप कुमार ध्रुव, प्रकार / स्वरूप: रहवासी संपत्ति,
संपत्ति पता: रहवासी संपत्ति के समस्त एवं संपूर्ण भाग, परिवर्तित भूमि खसरा नं. 190/41, क्षेत्रफल 2211 वर्ग फीट, वार्ड नं. 53, रिंग रोड नं. 1, पचपेड़ी नाका, गोल्डन मार्बल गली, लक्ष्मी नगर प्राइस कॉलोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़- 492001, **चर्तु:सीमाएं :** उत्तर: अन्य की भूमि, दक्षिण: अन्य की भूमि, पूर्व: अनिर्मित रोड (कचा रोड), पश्चिम: श्रीमती सरला बाई शर्मा की भूमि

स. क्र.	मालिक का नाम	प्रकार/ प्रकृति	संपत्ति का पता
1.	श्रीमती राज लक्ष्मी ध्रुव पति दीप कुमार ध्रुव	रहवासी संपत्ति	परिवर्तित भूमि खसरा नं. 190/41, क्षेत्रफल 2211 वर्ग फीट, वार्ड नं. 53, रिंग रोड नं. 1, पचपेड़ी नाका, गोल्डन मार्बल गली, लक्ष्मी नगर प्राइस कॉलोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492001

दिनांक : 06/11/2026
स्थान : छत्तीसगढ़
एचडीएफसी बैंक लि.
रमेश साहु, प्राधिकृत अधिकारी

केनरा बैंक Canara Bank
शाखा: नारायणपुर (डीपी: 5425)
PH: 91-9425591679, E-MAIL: cb5425@canarabank.com

स्वर्ण नीलामी सूचना

नीचे दिए गए व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि कई नोटिस दिए जाने के बावजूद, उन्होंने अपने लोन खातों की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। इसलिए, उनसे अनुरोध है कि वे बकाया राशि और अन्य शुल्कों का भुगतान करें और गिरवी रखी गई संपत्तियों (सोने के आभूषण) को **26/11/2026** (तारीख) तक या उससे पहले छुड़ा लें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो बैंक अपनी प्रक्रिया के अनुसार, इन संपत्तियों को सार्वजनिक नीलामी में बेच देगा। यह **नीलामी 27/11/2026 को दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे** के बीच **केनरा बैंक शाखा नारायणपुर** परिसर में होगी। बैंक के पास यह अधिकार होगा कि वह बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के, इस तारीख को या उसके बाद अपनी सुविधानुसार किसी अन्य तारीख पर यह नीलामी आयोजित करे। नीलामी से जुड़ी लागत का भार ऋणी पर ही होगा।

ऋणी की तिथि/ ऋण खाता सं.	ऋण लेने वाले का नाम एवं पता	कुल वजन एवं शुद्ध वजन	ईएमडी खाते का विवरण	देय राशि	शाखा/संपर्क नं. एवं ईमेल आईडी
24/02/2026 164128034632	**श्रीमती ओकेश्वरी सूर्यवंशी C/o. तुलेश्वर सूर्यवंशी,** निवास- गोदुलपारा, बकुलवाही, नारायणपुर, छत्तीसगढ़-494661.	7.88 ग्राम / 5.64 ग्राम	209272434 IFSC CODE: CNRB0005425	₹ 54,479/- 05/11/2026 पर + भविष्य का ब्याज, लागत एवं खर्च आदि।	Narayanpur Branch Mob. 9425591679 Email cb5425@canarabank.com

सोने के आभूषणों की नीलामी पूरी तरह से **"जैसी है, जहाँ है" और "जो कुछ भी है"** के आधार पर होगी, और इसमें किसी भी तरह के दावे या वापसी की गुंजाइश नहीं होगी। नीलामी के लिए आभूषणों का चयन पूरी तरह से बैंक के विवेक पर निर्भर करेगा। सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य के अतिरिक्त **GST** का भुगतान करना होगा। इच्छुक बोलीदाता विस्तृत नियमों और शर्तों या अधिक जानकारी के लिए **नारायणपुर शाखा के शाखा प्रबंधक से मोबाइल नंबर** 91-9425591679 पर संपर्क कर सकते हैं। **नोट:** रिजर्व प्राइस नीलामी की तारीख पर **IBJA** वेबसाइट पर दिए गए 22 कैरेट सोने के रेट के आधार पर तय किया जाएगा।

दिनांक: 07.11.2026, स्थान: नारायणपुर (छ.ग.)
हस्ताक्षर/ शाखा प्रबंधक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
क्षेत्रीय कार्यालय- रायपुर, प्लॉट नं. 71, सेक्टर- 24 अटल नगर, नया रायपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़-492018
परिशिष्ट-IV ए [नियम 6(8) के परंतुक को देखें]
अचल संपत्ति की विक्रय हेतु बिक्री सूचना

ई-नीलामी बिक्री सूचना: बैंक में बंधक रखे अचल संपत्तियों का, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति-हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत, प्रतिभूति-हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के सहपठित धारा 8 (6) के तहत विक्रय किया जाना है।

सर्वसाधारण, विशेष रुप से ऋणी एवं जमानतदारों को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिनका **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** के प्राधिकृत अधिकारी ने **सांकेतिक/भौतिक कब्जा** लिया है, **"जैसा है, जहां है और जैसा है, जो है"** के आधार पर दिनांक **10/12/2026** समय **(प्रातः 12.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक)** पर नीलाम किया जावेगा, जिसका विवरण नीचे दिए अनुसार है। आरक्षित मूल्य एवं बयाना राशि संपत्ति के विरुद्ध नीचे दर्शाये गये तालिका में उल्लेख किया गया है।

क्र.	उधारकर्ता एवं जमानतदार/शाखा का नाम	सपत्तियों का विवरण	बकाया राशि (रू.)	आरक्षित मूल्य अमानत राशि बोली वृद्धि राशि
01	मृतक- अभिषेक अरुण कुमार दुबे की संपत्ति, प्रतिनिधित्व: शिखा दुबे पति- अभिषेक दुबे शाखा - राजनांदगांव मुख्य	प्लॉट नं. जे-121 एवं जे-122, जनता नगर (बक्सी नगर) हाउसिंग कॉलोनी, लखोली नाका के पास, राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.) क्षेत्रफल 83.88 वर्ग मीटर, यानी 902.54 वर्ग फुट में स्थित संपत्ति।	₹ 15,88,665.62 + 31/10/2025 से ब्याज + कानूनी और अन्य शुल्क	₹ 26.00 लाख / ₹ 2.60 लाख / ₹ 0.26 लाख

उपरोक्त संपत्तियों पर ऋणभार का विवरण, जैसा कि बैंक को ज्ञात है - ज्ञात नहीं है।

ई-नीलामी की तिथि व समय: 10/12/2026, सुबह 12.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक।

पंजीकरण, लॉगिन एवं बोली नियमों के लिए देखें **ऑनलाइन ई-नीलामी वेब पोर्टल/वेबसाइट https://baanknet.in** के माध्यम से आयोजित की जाएगी, किसी भी विस्तृत पूछताछ के लिए कृपया संपर्क करें: **क्र. 01 के लिए: श्री कौशिक मिश्रा/ मोबा. 8528201355.**

उधारकर्ताओं और गारंटरों को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के तहत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री नोटिस के रूप में भी माना जा सकता है।

दिनांक: 08.11.2026,
प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
क्षेत्रीय कार्यालय- रायपुर, प्लॉट नं. 71, सेक्टर- 24 अटल नगर, नया रायपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़-492018
परिशिष्ट-IV ए [नियम 6(8) के परंतुक को देखें]
अचल संपत्ति की विक्रय हेतु बिक्री सूचना

ई-नीलामी बिक्री सूचना: बैंक में बंधक रखे अचल संपत्तियों का, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति-हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत, प्रतिभूति-हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के सहपठित धारा 8 (6) के तहत विक्रय किया जाना है।

सर्वसाधारण, विशेष रुप से ऋणी एवं जमानतदारों को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिनका **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** के प्राधिकृत अधिकारी ने **सांकेतिक/भौतिक कब्जा** लिया है, **"जैसा है, जहां है और जैसा है, जो है"** के आधार पर दिनांक **26.11.2026**, समय (दोपहर **12.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक**) पर नीलाम किया जावेगा, जिसका विवरण नीचे दिए अनुसार है। आरक्षित मूल्य एवं बयाना राशि संपत्ति के विरुद्ध नीचे दर्शाये गये तालिका में उल्लेख किया गया है।

क्र.	उधारकर्ता एवं जमानतदार/शाखा का नाम	सपत्तियों का विवरण	बकाया राशि (रू.)	आरक्षित मूल्य अमानत राशि बोली वृद्धि राशि
01	1. श्री दवेन्द्र पाल सिंह कांडा पुत्र इंद्रजीत सिंह कांडा, 2. श्री इंद्रजीत सिंह कांडा पुत्र स्व. सुच्चा सिंह कांडा, 3. श्रीमती रणजीत कौर कांडा पत्नी श्री इंद्रजीत सिंह कांडा. शाखा: सिविक सेंटर भिलाई	**स्वामित्व- श्री इंद्रजीत सिंह कांडा पिता- स्व. सुच्चा सिंह कांडा एवं श्रीमती रणजीत कौर कांडा पति- श्री इंद्रजीत सिंह कांडा**, तरूण टॉकीज के पास, संतरा बाड़ी, वार्ड नं. 26, जिला- दुर्ग, छ.ग, क्षेत्रफल- 1102 वर्ग फीट में स्थित आवासीय प्लॉट मकान नं. 185.	₹ 26,10,000.00 + 01.04.2024 से ब्याज + कानूनी और अन्य शुल्क	₹ 36.00 lacs / ₹ 3.60 lacs / ₹ 0.36 lacs
02	श्री विनय खत्री, श्री सुनील पंजवानी (गारंटर) पुत्र श्री चिमन लाल/ दुर्ग शाखा	सर्वे नंबर: ख. नं. 1267/73, प.ह.नं.-16/24, गजानन मंदिर के पीछे, विजय नगर, तह-दुर्ग, जिला-दुर्ग, कुल क्षेत्रफल 667.50 वर्गफीट में स्थित आवासीय मकान।	₹ 14,15,000.00 + 01.01.2024 से ब्याज + कानूनी और अन्य शुल्क	₹ 13.00 लाख / ₹ 1.30 लाख / ₹ 0.13 लाख
03	राम अवतार शर्मा एवं प्रभा शर्मा शाखा: समता कालोनी	**प्रभा शर्मा पति- राम अवतार शर्मा** के नाम पर खसरा नं. 363/1, 364/1, 365/1, पीसी नं. 110/40, गोल्डन ग्लोरी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल, शंकर नगर, वार्ड नं. 29, रायपुर, क्षेत्रफल- 1455 वर्गफीट में स्थित आवासीय फ्लैट नं. बी/504 के समस्त भाग व अंश।	₹ 44,82,000.00 + 01.04.2024 से ब्याज + कानूनी और अन्य शुल्क	₹ 35.12 लाख / ₹ 3.52 लाख / ₹ 0.36 लाख
04	मेसर्स छाया इन्टरप्राईजेस, प्रोप- नितेश महोबिया एवं श्रीमती छाया देवी महोबिया/ कांकेर शाखा	अभिन्यास नं. 378/17, शीट नं. 5सी, संजय नगर, फॉरेस्ट ऑफिस के पीछे, कांकेर-494334, क्षेत्रफल- 817.76 वर्ग फीट में स्थित नजुल भूमि प्लॉट नं. ½.	₹ 14,20,000.00 + 31.08.2024 से ब्याज + कानूनी और अन्य शुल्क	₹ 13.00 लाख / ₹ 1.30 लाख / ₹ 0.13 लाख
05	मेसर्स मां कपड़ा दुकान प्रोप-श्री टीकम साहू, ऋणी- श्री टीकम साहू सह-ऋणी- श्री भागवत साहू, सह-आवेदक- श्रीमती भारती साहू पति श्री टीकम साहू शाखा: राजीम	1. (ख. नं. 42/1 का भाग) क्षेत्रफल 827 वर्ग फीट वार्ड नं. 7 महामाया वार्ड, साहू पारा राजिम, गरियाबंद - **संपत्ति के स्वामी- श्री टीकम साहू एवं श्री भागवत साहू।** 2. (ख नं. 42/1 का भाग) क्षेत्रफल 684 वर्ग फीट वार्ड नं. 6 भामाशाह वार्ड, साहू पारा राजिम, गरियाबंद - **संपत्ति के स्वामी- श्री टीकम साहू एवं श्री भागवत साहू**	₹ 26,31,614.00 + 01.04.2021 से ब्याज + कानूनी और अन्य शुल्क	₹ 16.00 लाख / ₹ 1.60 लाख / ₹ 0.16 लाख / ₹ 11.00 लाख / ₹ 1.10 लाख / ₹ 0.11 लाख

उपरोक्त संपत्तियों पर ऋणभार का विवरण, जैसा कि बैंक को ज्ञात है - ज्ञात नहीं है।

ई-नीलामी की तिथि व समय: 26/11/2026, सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक।

पंजीकरण, लॉगिन एवं बोली नियमों के लिए देखें **ऑनलाइन ई-नीलामी वेब पोर्टल/वेबसाइट http://www.baanknet.in** के माध्यम से आयोजित की जाएगी, किसी भी विस्तृत पूछताछ के लिए कृपया संपर्क करें: **क्र. 01 के लिए: श्री सुजीत कुमार/ मो. 7022656463, क्र. 2: श्री शंभु कश्यप/मो. 9098931547, क्र. 3: श्री जितेन्द्र नायक/मो. 7250567881. क्र. 4 व 5 के लिए: श्री गौरव मिश्रा/मो. 7800002186.**

उधारकर्ताओं और गारंटरों को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री नोटिस के रूप में भी माना जा सकता है।

दिनांक: 08.11.2026,
प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

अल्काराज के वार से फ्रिट्ज का टूटा सपना



एजेंसी ▶▶| पेरिस

कार्लोस अल्काराज ने टेलर फ्रिट्ज को 6-7 (10), 7-5, 6-3 से हराकर पेरिस मास्टर्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली। अल्काराज की जीत ने फ्रिट्ज की एटीपी फाइनल्स के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीदों को खत्म कर दिया और इसके बजाय यह पक्का कर दिया कि उनके देश के राफेल जोडार साल के आखिर में होने वाले टूर्नामेंट के लिए आखिरी जगह पक्की कर लें। अल्काराज ने फ्रिट्ज के खिलाफ मैच में जबरदस्त वापसी करते हुए सीजन के अपने तीसरे एटीपी मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंच गए। वह मैच में 36-7 (10) और 3-5 से पीछे थे और अपनी सर्व पर एक मैच पॉइंट का सामना कर रहे थे, इससे पहले कि उन्होंने एक शानदार पॉइंट जीतकर स्कोर 4-5 कर दिया। इसके बाद अल्काराज को अगले गेम में फ्रिट्ज की सर्व पर एक मैच पॉइंट बचाना पड़ा, इससे पहले कि वह उन्हें 5-5 से बराबर कर पाते। अल्काराज ने तब अपना गेम बेहतर किया जब यह सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि उन्होंने अगले दो गेम जीतकर डिसाइडर में चीजें अपने नाम कीं।

चेन्नई ओपन : वैष्णवी रुतुजा ने रचा इतिहास



चेन्नई। वैष्णवी अडकर और रुतुजा भोसले ने डब्ल्यूटीए टूर स्तर के किसी टूर्नामेंट के युगल फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के रोमांचक सेमीफाइनल में पोलैंड की वेरोनिका फाल्कोव्स्का और अमेरिका की अलाना स्मिथ की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी को 6-2 2-6 10-8 से हराया। भारतीय जोड़ी पहला सेट आसानी से जीतने के बाद दूसरे सेट में लड़खड़ा गई लेकिन उन्होंने निर्णायक सुपर टाई-ब्रेक में संयम बनाए रखा और जीत हासिल की।

pnb पंजाब नैशनल बैंक
सीओ-एसएएम, रायपुर (छ.ग.)
ई-नीलामी तिथि - 26/11/2026
समय: सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक

सरफेसी अधिनियम 2002 (2002 का अधिनियम 54) के अन्तर्गत बैंक में बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री
APPENDIX-IV-A [See proviso to rule 8(6)]

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पूर्ननिर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अचल संपत्तियों की ई-निलामी सूचना सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत जारी की जा रही है। इस सूचना के द्वारा उधारकर्ताओं, जमानतदाताओं तथा आम जनता को सूचित किया जाता है। कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियाँ सुरक्षित लेनदार के पास बंधक है एवं इन संपत्तियों को बैंक के प्रधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक /सांकेतिक द्वारा अधिकार में ले लिया गया है। इन संपत्तियों की विक्रय "जहाँ है जैसा है" जो भी है जैसा भी है" नीचे दिये कॉलामो में वर्णित तिथि में बैंक/सुरक्षित लेनदार के देय राशि उधारकर्ताओं तथा जमानतदारो से वसुली के लिए किया जा रहे है। आरक्षित मूल्य तथा ब्याना राशि नीचे तालिका में संपत्तियों के समस्त दर्शाई गई है।

सुरक्षित संपत्तियों की अनुसुची

क्र.	खाताधारक का नाम उधारकर्ता / जमानतदार का नाम व पता शाखा का नाम	बंधक चल/अचल संपत्तियों का विवरण / मालिक का नाम	1) 13(2) के तहत डिमांड नोटिस की तिथि 2) बकाया राशि 3) कब्जा तिथि सरफेसी एक्ट 2002 के नियम 13(4) के तहत 4) कब्जा की प्रकृति	आरक्षित मूल्य (लाख में) ईएमडी (लाख में) बोली वृद्धि राशि-10000/- प्रत्येक संपत्ति के लिये
1	**उधारकर्ता: श्री एडविन फर्नांडीज, सह-उधारकर्ता: श्री लुईस फर्नांडीज,** पता - रायपुर कॉन्वेंट स्कूल के पास, शिवानंद नगर, सेक्टर 1, खमतराई, रायपुर, छत्तीसगढ़- 492001, **शाखा - सुंदर नगर, रायपुर (164010), संपर्क: श्री अजय कुमार पटेल, 9425017828**	**आवासीय मकान -** खसरा नं 597/2, 598/2 (भाग), पीसी नं 108/38, विनायक गार्डन, ब्लॉक 65, मौजा - शिवानंद नगर, सेक्टर 3, यतियातन वार्ड नं 4, **गोंदवारा,** रायपुर, छत्तीसगढ़ में **क्षेत्रफल- 800 वर्गफुट** पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्री एडविन फर्नांडीज पिता श्री लुइस फर्नांडीज। सीमाएं:- उत्तर: विक्रेता की शेष भूमि, दक्षिण: विक्रेता की शेष भूमि, पूर्व: सड़क, पश्चिम: विक्रेता की शेष भूमि. भौगोलिक निर्देशांक - 21.274860,81.625635	1) **07/08/2021** 2) **रू 15,13,400.40** + दिनांक 07-08-2021 से ब्याज प्रभावी 3) **10-01-22** को सांकेतिक कब्जा	रू **15.81** लाख / रू **1.59** लाख
2	**उधारकर्ताओं: श्रीमती पुष्पा राठौड़** पति श्री ललित राठौड़ एवं **श्री राहुल राठौड़** पिता श्री ललित राठौड़, दोनों का पता - पीएवी प्रोविजन स्टोर्स के पास, शिवानंद नगर, सेक्टर -1, नीम बद्री, रायपुर कॉन्वेंट स्कूल के पास, खमतराई, रायपुर (छ.ग), 492001, **शाखा - सुन्दर नगर, रायपुर (164010). संपर्क: श्री अजय कुमार पटेल, 9425017828**	**आवासीय संपत्ति -** खसरा नं 435/15 (भाग), मौज़ा- खमतराई, प.ह नं 108/38, वार्ड नं 07, वीर शिवाजी वार्ड, सेक्टर-1, **शिवानंद नगर,** आर.आई.सी.- रायपुर (छ.ग.) में **क्षेत्रफल- 1000 वर्ग फुट** पर स्थित अचल संपत्ति, मालिकाना हक - श्रीमती पुष्पा राठौर पति श्री ललित राठौर। सीमाएँ: उत्तर: सड़क, दक्षिण: अन्य का मकान, पूर्व: देवांगन का मकान, पश्चिम: अन्य का मकान। भौगोलिक निर्देशांक - 21.276278, 81.631752	1) **18.09.2021** 2) **रू 6,38,998.86** + दिनांक 31.03.2021 से ब्याज प्रभावी 3) **18.04.22** को सांकेतिक कब्जा	रू **22.46** लाख / रू **2.25** लाख
3	**उधारकर्ताओं: 1) श्री संतोष कुमार सोनी** पिता श्री बसंत सोनी, 2) **श्रीमती सरिता सोनी** पति श्री संतोष सोनी, दोनों का पता: मकान नंबर 7/225, सुक्रवारी बाजार, शशिकला स्कूल के पास, गुढ़ियारी रायपुर- 492011. **शाखा कार्यालय: बूढ़ापारा, रायपुर (092620), संपर्क करें- श्री वीरेंद्र सिंह, 9770063202**	**आवासीय प्लॉट एवं मकान -** खसरा नंबर 139/2 (भाग), खाता नंबर 125, प.ह नंबर 108/38, तहसील व जिला - रायपुर छ.ग में डाइवर्टेड ज़मीन पर, क्षेत्रफल - 600 वर्ग फुट जिसमें दूसरी मंजिल पर 500 वर्ग फुट पर मकान बना हुआ है, भनपुरी, रामेश्वर नगर (बंजारी माता वार्ड नंबर 5) पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्री संतोष कुमार सोनी पिता श्री बसंत कुमार सोनी	1) **15.04.2023** 2) **रू 11,85,929.00** + दिनांक 31.03.2023 से ब्याज प्रभावी 3) **19.07.24** को सांकेतिक कब्जा	रू **13.82** लाख / रू **1.38** लाख
4	**उधारकर्ता: 1. श्रीमती पुष्पा मेश्राम** पति स्वर्गीय श्री रवीन्द्र मेश्राम, **2. श्री रोहित मेश्राम** पिता स्वर्गीय श्री रवीन्द्र मेश्राम, पता: निवासी वार्ड नं. 12, शंकर नगर, जागृति चौक, दुर्ग, 491001, **शाखा कार्यालय: बोरसी (205910), संपर्क: अंजेलिना कुजूर, 8210197217**	**आवासीय भूमि एवं भवन -** खसरा नंबर 1227/167 का भाग, **मौजा: दुर्ग खास, शंकर नगर,** प.ह नंबर 16/24, आर.आई.सी: दुर्ग-1, तहसील/ज़िला: दुर्ग, छत्तीसगढ़ में **क्षेत्रफल: 377 वर्ग फुट** पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक - श्रीमती पुष्पा मेश्राम पति स्वर्गीय श्री रविंद्र मेश्राम। सीमाएं :- उत्तर - सरावत्ते का मकान, दक्षिण - देवांगन का मकान, पूर्व - 10 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम - नेमा का मकान।	1) **07.12.2022** 2) **रू 5,30,218.00** + दिनांक 06.12.2022 से ब्याज प्रभावी 3) **28.06.24** को सांकेतिक कब्जा	रू **10.67** लाख / रू **1.07** लाख
5	**उधारकर्ता: जावेद अहमद खान** पिता अब्दुल हामिद, **श्रीमती शमसुन निशा** पति जावेद अहमद खान, दोनों का पता: खान किराना के पास, पूजारी स्कूल के सामने, राजा तालाब, रायपुर, छ.ग. **शाखा कार्यालय: देवेन्द्र नगर (748400), संपर्क: अमित कुमार पांडे, 9425886925**	**मकान** नंबर 31/1131, प्लॉट नंबर 28, शीट नंबर 32, खसरा नंबर 436/2, 438/28, 441, मौज़ा – पांडितराई (गोरखा कॉलोनी), प.ह नंबर 109, वार्ड नंबर 31, **शंकर नगर वार्ड,** आरएनएम रायपुर 1, तहसील / ज़िला – रायपुर (छत्तीसगढ़) में **क्षेत्रफल - 710 वर्ग फ़ीट** पर स्थित भूमि एवं भवन का समस्त भाग तथा अंश, मालिकाना हक- जावेद अहमद खान पिता अब्दुल हामिद। सीमाएँ :- उत्तर- अन्य का मकान, दक्षिण- सड़क, पूर्व- खुली भूमि, पश्चिम - राम बहादुर का मकान।	1) **28.04.2026** 2) **रू 17,18,349.00** + दिनांक 28.04.2026 से ब्याज प्रभावी 3) **07.08.26** को सांकेतिक कब्जा	रू **42.63** लाख / रू **4.26** लाख
6	**उधारकर्ता: श्रीमती रमा शर्मा** पति श्री गिरधर लाल शर्मा, **सह-उधारकर्ता: श्री गिरधर लाल शर्मा** पिता स्व. मोहन लाल शर्मा, दोनों निवासी: 1) 80, हनुमान मंदिर के पास, बिलासपुर रोड, एमपीएचबी कॉलोनी, बिरगांव, रायपुर(छ.ग) 493221, 2) फ्लैट नंबर डी-302, तीसरी मंजिल, ब्लॉक-डी, बिमल एन्क्लेव, मौजा-रावणभाटा, मौलाना अब्दुल वार्ड नंबर 25, भनपुरी, रायपुर (छ.ग) 492001. **शाखा-देवेंद्र नगर, रायपुर(748400), संपर्क: श्री अमित कुमार पांडे, 9425886925**	**आवासीय फ्लैट** नंबर डी-302, तीसरी मंजिल, ब्लॉक डी, बिमल एन्क्लेव, खसरा नं 412/14-20-21-22-27 का भाग, प.ह नंबर 100, मौजा रावनभाटा, मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड नं 25, **भनपुरी,** तहसील एवं जिला - रायपुर, (छ.ग) में **क्षेत्रफल - 700 वर्गफीट (बिल्टअप क्षेत्र), क्षेत्रफल - 802 वर्गफीट (सुपर बिल्टअप क्षेत्र)** पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्रीमती रमा शर्मा पति श्री गिरधर लाल शर्मा। सीमाएँ -उत्तर: फ्लैट डी-301, दक्षिण: खुला एवं सीमा दीवार, पूर्व: खुला एवं सीमा दीवार, पश्चिम: फ्लैट सी-303. भौगोलिक निर्देशांक - 21.300661, 81.634066	1) **11-05-2023** 2) **रू 19,82,625.69** + दिनांक 11-05-2023 से ब्याज प्रभावी 3) **16-07-25** को सांकेतिक कब्जा	रू **20.93** लाख / रू **2.09** लाख
7	**उधारकर्ता- श्रीमती हेमलता देवांगन** पति श्री श्याम देवांगन, **सह-उधारकर्ता- श्री श्याम देवांगन** पिता श्री नरसिंह देवांगन, दोनो का पता - ग्राम- सिवानी, पोस्ट - अदमाबाद, तहसील एवं जिला- बालोद (छ.ग) **शाखा- बालोद, 610400 संपर्क: श्री बीरेंद्र कुमार 9997254254**	**आवासीय भूमि एवं भवन-** खसरा नं. 331/24, प. ह. नं 22, **ग्राम- देवरभाट,** तहसील एवं जिला - बालोद में **क्षेत्रफल 1524 वर्गफीट** पर स्थित पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्रीमती हेमलता देवांगन पति श्री श्याम देवांगन, चौहदी उत्तर: कलिंदारी बाई, दक्षिण: सड़क, पूर्व: दिनेश वैष्णव की भूमि, पश्चिम: नरेंद्र वैष्णव की भूमि. भौगोलिक निर्देशांक- 20.705444,81.254694	1) **08-05-2019** 2) **रू 13,73,254.00** + दिनांक 31-03-2019 से ब्याज प्रभावी 3) **06-08-19** को सांकेतिक कब्जा	रू **12.81** लाख / रू **1.28** लाख
8	**उधारकर्ता: श्रीमती सीमा उपाध्याय** पति श्री संतोष उपाध्याय एवं **श्री रोशन कुमार उपाध्याय** पिता श्री संतोष उपाध्याय, महादेव घाट रोड शीतला पारा रायपुरा, रायपुर, 492001, **शाखा- देवेन्द्र नगर, (748400), संपर्क : श्री अमित कुमार पांडे, 9425886925**	खसरा नंबर 691/6 (भाग), खाता नंबर 520, भाग 3, प.ह नं 104, एरएनएम रायपुर-1, तहसील एवं जिला - रायपुर, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल- 900 वर्गफुट पर स्थित संपत्ति का समस्त भाग तथा अंश, मालिकाना हक- श्रीमती सीमा उपाध्याय पति श्री संतोष उपाध्याय। सीमाएँ: उत्तर- सड़क, दक्षिण- ठाकुर की भूमि, विक्रेता की शेष भूमि, पश्चिम- विक्रेता की शेष भूमि। भौगोलिक निर्देशांक – 21.216256, 81.598991	1) **10-02-2026** 2) **रू 5,79,314.00** + दिनांक 31-12-2025 से ब्याज प्रभावी 3) **29-04-26** को सांकेतिक कब्जा	रू **24.56** लाख / रू **2.45** लाख
9	**उधारकर्ता: श्री संतोष कुमार ठाकुर** पिता श्री दशारू राम ठाकुर एवं **डिंपल कौर,** दोनों का पता: मकान नंबर-67, हुडैक कॉलोनी साई झूले वार्ड 26, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़-490026, **शाखा- भिलाई, (096920), संपर्क: श्री सतीश चंद्र, 9560045725**	खसरा नं. 738/10, प.ह नं. 14/19, आर्य नगर, कोहका पुरानी बस्ती वार्ड नंबर 9, भिलाई, तहसील/जिला- दुर्ग (छ.ग.) में क्षेत्रफल- 1400 वर्ग फुट पर स्थित भूमि एवं भवन का समस्त भाग तथा अंश, मालिकाना हक- श्री संतोष कुमार ठाकुर पिता श्री दसों राम ठाकुर। भौगोलिक निर्देशांक: 21°13'55.8", 81°20'07.2"	1) **18.10.2023** 2) **रू 9,46,950.00** + दिनांक 30.09.2023 से ब्याज प्रभावी 3) **28.10.24** को सांकेतिक कब्जा	रू **14.70** लाख / रू **1.47** लाख
10	**उधारकर्ता: श्री बंजारी साहू** पिता श्री परस राम साहू एवं **श्रीमती मन्होरा बाई** पिता श्री बंजारी साहू, पता: मकान नंबर -74/एई कुरूद, तहसील आरंग, जिला- -रायपुर, (छ.ग)- 492015, **शाखा - राखी (174410) संपर्क : श्री शैलेश शर्मा, 9399951512**	**मकान** नंबर 74/13, खसरा नंबर 329, मौज़ा: कुरुद, आरआईसी: मंदिर हसौद, तहसील: आरंग, जिला: रायपुर में क्षेत्र - 0.01 हेक्टेयर (1076 वर्ग फ़ीट) पर स्थित भूमि एवं भवन का समस्त भाग तथा अंश, मालिकाना हक- श्री बंजारी साहू पिता श्री पारस राम साहू। सीमाएँ :- उत्तर - खसरा नंबर 324 की भूमि, दक्षिण - खसरा नंबर 328 की भूमि, पूर्व - खसरा नंबर 325 की भूमि, पश्चिम - खसरा नंबर 330 की भूमि।	1) **01/01/2026** 2) **रू 12,21,874.65** + दिनांक 31.12.2025 से ब्याज प्रभावी 3) **11.05.26** को सांकेतिक कब्जा	रू **11.68** लाख / रू **1.16** लाख

संपत्ति निरीक्षण की तिथि व समय: 25.11.2026 प्रातः 11:00 बजे से दोप. 03:00 बजे तक एवं बयाना राशि जमा करने की तिथि व समय: 25.11.2026 शाम 04:00 बजे तक

अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें : श्री दीनानाथ बागे, सीओ-एसएएम रायपुर, 9304614766

नोट:- उपरोक्त सभी अचल संपत्तियों से संबंधित सभी सरकारी कार्यालयों का लंबित बकाया (संपत्ति, पानी, बिजली आदि) खर्च क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा

महत्वपूर्ण नोट:- 1. नीलामी बिक्री "ई-नीलामी" पोर्टल **https://baanknet.com** के माध्यम से ऑनलाइन होगी। **2.** इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी का उपयोग करके पोर्टल **(https://baanknet.com)** पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, उनसे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज़ अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। एक बार जब केवाईसी दस्तावेज़ ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित हो जाते हैं (जिसमे 2 कार्य दिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को **ई-नीलामी दिनांक 26/11/2026 व समय सुबह 11.00 बजे** से पहले पोर्टल पर अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन गोड का उपयोग करके ईएमडी राशि हरतांतरित करनी होगी। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों का सत्यापन और वॉलेट में ईएमडी का हस्तांतरण नीलामी की तारीख से पहले ही पूरा किया जाना चाहिए। नियम और शर्ते- बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों व शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:- **1.** संपत्तियों को **"जैसा है जहां है" और "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचा जा रहा है। **2.** यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। **3.** संपत्ति की बिक्री **ई-नीलामी दिनांक 26/11/2026 को सुबह 11.00 बजे वेबसाइट https://baanknet.com** पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी। बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया **https://baanknet.com** एवं **www.pnbindia.in** देखें .इस नीलामी के अंग्रेजी में जानकारी के लिए Central Chronicle दिनांक 08.11.2026 में प्रकाशित समाचार पत्र देखें। किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

नोट:- इच्छुक बोलीकर्ता को यूजर आई-डी व पासवर्ड स्वयं बानाना हैं। जिसे बनाने में न्युनतम 2 दिन का समय लगता हं। अतः बोलीकर्ता से निवेदन हं कि यूजर आई-डी अंतिम तिथी से पूर्व ही बना ले।

दिनांक: 08.11.2026, स्थान: रायपुर
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, सुरक्षित लेनदार